

अप्रार्थीगण को दी है, जिस बाबत शपथ पत्र दिनांक 13.08.2018 को लिखा गया। प्रार्थी की भूमि मुरबा नं० 8 में आने-जाने के लिए मुरबा नं० 8 के किला नं० 1, 10, 11 प्रत्येक में 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा रास्ता मंजूर करवाना चाहता है, जिसके लिए बतौर मुआवजा भूमि अप्रार्थीगण को दे दी गई है, रास्ता मंजूर करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र की एक मात्र विकल्प है, जो यही प्रार्थना पत्र का कारण है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीय नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में मिकरान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण में राजीनामा कर लिया है। इसलिए राजीनामा अनुसार चक 39 आरबी के मुरबा नं० 8 के किला नं० 20 में प्रवेश के लिए मुरबा नं० 8 के किला नं० 1, 10, 11 प्रत्येक में 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है व राजीनामा अनुसार मुरबा नं० 8 के किला नं० 13/2 व 14 व 15 के 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा अप्रार्थीगण को दे दी है। कब्जा अप्रार्थीगण को दे दिया है। किला नं० 13/2, 14 व 15 मुशर्तका खाता की भूमि है, प्रार्थी के हिस्सा में से अप्रार्थीगण को दे दी जावें। राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकार किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर वादगत भूमि तहसील पदमपुर चक 39 आरबी के मुरबा नं० 8 के किला नं० 20 में प्रवेश के लिए मुरबा नं० 8 के किला नं० 1, 10, 11 प्रत्येक में 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण को राजीनामा अनुसार अपनी मुशर्तका खाता की भूमि चक 39 आरबी के खाता सं० 2 के मुरबा नं० 8, 9, 16, 21 की 11.378 है० भूमि में से रास्ता जितनी भूमि 0.058 है० देगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 3/12/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

20<sup>06</sup>  
सुभाष कुमार  
उपस्थित अधिकारी  
पदमपुर (राज०)

20  
(सुभाष कुमार)  
उपस्थित अधिकारी  
पदमपुर (राज०)

